झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक– खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019

प्रेषक,

थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

/राँची, दिनांक

विषय :– **One Nation One Ration Card के तहत National/Inter State Portability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार से प्राप्त पत्राक 23(16)/2015-Comp.(pt), दिनांक 29.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए प्रवासी लाभुकों (श्रमिकों) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत National/Inter State Protability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट देने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में यह निदेश प्राप्त है कि लाभुक अपना सम्पूर्ण मासिक उठाव एकबार में अथवा एक से ज्यादा बार में बिना 7 दिवस के प्रतीक्षा के कर सकते हैं (छायाप्रति संलग्न)। विदित हो कि झारखण्ड राज्य उन 12 राज्यों में शामिल है जहाँ National Portibility चालू है। शेष 11 राज्य क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, गोवा गुजरात हरियाणा, केरल कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एवं त्रिपुरा है।

अनुरोध है कि इस संबंध में Senitization, Social Distancing आदि को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन 11 राज्यों के राशनकार्डधारी लाभुकों को National Portability के तहत खाद्यान्न का उठाव केवल आधार आधारित बॉयोमेट्रिक सत्यापन अथवा आधार OTP के माध्यम से ही करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक:– यथोक्त।

ह0/–

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\C D Food\Vikash Kumar 2020-21\Krishna Udaya\Krishna.doc21

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 1091 /राँची, दिनांक– 08.05.20

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय झारखण्ड/श्रीमती शिवानी कोड़ाह, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2020-21\Krishna Udaya\Krishna.doc22

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक– खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019

प्रेषक,

थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

/राँची, दिनांक

विषय :– **One Nation One Ration Card के तहत National/Inter State Portability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक 23(16)/2015-Comp.(pt), दिनांक 29.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए प्रवासी लाभुकों (श्रमिकों) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत National/Inter State Protability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट देने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में यह निदेश प्राप्त है कि लाभुक अपना सम्पूर्ण मासिक उठाव एकबार में अथवा एक से ज्यादा बार में बिना 7 दिवस के प्रतीक्षा के कर सकते हैं (छायाप्रति संलग्न)। विदित हो कि झारखण्ड राज्य उन 12 राज्यों में शामिल है जहाँ National Portibility चालू है। शेष 11 राज्य क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, गोवा गुजरात हरियाणा, केरल कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एवं त्रिपुरा है।

अनुरोध है कि इस संबंध में Senitization, Social Distancing आदि को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन 11 राज्यों के राशनकार्डधारी लाभुकों को National Portability के तहत खाद्यान्न का उठाव केवल आधार आधारित बॉयोमेट्रिक सत्यापन अथवा आधार OTP के माध्यम से ही करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह0/–

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 1091 /राँची, दिनांक– 08.05.20

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2020-21\Krishna Uday\Krishna.doc21

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक– खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019

प्रेषक,

थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

/राँची, दिनांक

विषय :– **जन वितरण प्रणाली दुकानों से ई–पॉश मशीन के द्वारा राशन वितरण के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 746, दिनांक 18.03.2020, पत्रांक 786, दिनांक 20.03.2020, पत्रांक 815, दिनांक 24.03.2020 एवं भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक 9(1)/2019-Comp. Cell (o-367771), दिनांक 23.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि राज्य में CORONA को लेकर आम नागरिकों को बचाने के लिए तथा CORONA के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेश तक सभी Online Mode में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बॉयोमेट्रीक सत्यापन के बगैर (बिना अँगूठे के निशान एवं आँख की पुतली के) राशन का वितरण लाभुकों को OTP में Fix Standard Digit के माध्यम से किया जाय।

2. भारत सरकार से प्राप्त प्रासंगिक पत्र में यह वर्णित है कि आधार आधारित अथवा आधार OTP आधारित या PDS OTP आधारित खाद्यान्न वितरण से इतर अन्य किसी प्रकार का खाद्यान्न वितरण किसी जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी/कर्मी के उपस्थिति में हीं किया जाय। साथ ही ई–पॉश डिवाईस से निर्गत खाद्यान्न प्राप्ति रसीद भी लाभुकों को अवश्य उपलब्ध करायी जाय। Portabilty Transaction केवल आधार आधारित बॉयोमेट्रीक सत्यापन अथवा आधार OTP के माध्यम से ही किया जाय (छायाप्रति संलग्न)।

3. अतः अनुरोध है कि इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग–निर्देश के आलोक में सभी संबंधितों को सूचित करते हुए इसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक:– यथोक्त।

ह0/–

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\C.D. Food\Vikash Kumar-2020-21\Krishna Udaya\Krishna.doc19

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 1092 /राँची, दिनांक–08.05.20

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय झारखण्ड/श्रीमती शिवानी कोड़ाह, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।